न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं.– 22/25 (विविध)
कमलेश बनाम` तहसीलदार तहसील बैजूपाडा
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री धर्मसिंह राजपूत द्वारा वास्ते पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को सम्मन जरिये **Registered AD** वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 03.04.2025 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
3/4/25	पीठासीन अधिकारी हाईकोर्ट जयपुर पधारे जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/4/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
8/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी की तामील रजिस्टर्ड डाक रसीद पेश की। अप्रार्थी की ओर से बाद तामील कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर इनका जवाब अवसर बन्द कर दिया गया है। प्रा.पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी। उनके द्वारा प्रा.पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रा.पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	**तारीख रजू**	**तारीख निर्णय**
22/25	**20.03.25**	**08.04.25**

बउनवान

1. कमलेश पुत्र किरोडी, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. जगमोहन पुत्र किरोडीलाल, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. रामखिलाडी पुत्र किशनलाल, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. हरकेश पुत्र किरोडीलाल, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री धर्मसिंह राजपूत।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 अभिभाषक धर्मसिंह राजपूत द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 240 रकबा 0.10 हैक्टे., 241 रकबा 0.03 हैक्टे., 242 रकबा 0.04 हैक्टे. कुल किता 3, कुल रकबा 0.17 हैक्टे. वाके ग्राम बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा, राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण सीधे सादे तथा कानून में आस्था रखने वाले व्यक्ति है जिनकी खातेदारी की उक्त आराजी की प्रार्थीगण ने डोल–मेड कर पत्थरगढी करवाना चाहते है। उक्त आराजी की डौल–मेड करने में आस पडौसी बिना किसी वजह के व्यवधान करते रहते हैं तथा गिरोह बनाकर उनकी आराजी को हडपना चाहते हैं। इस हेतु प्रार्थीगण ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आने को कहा। इस कारण उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अर्ज है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा सं. 240, 241, 242 वाकै ग्राम बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा का जरिये प्रशासन तहसीलदार बैजूपाडा व थानाधिकारी बैजूपाडा की उपस्थिति में सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करते हुये निशानात कायम किये जाकर पत्थरगढी करवाये जाने तथा पत्थरगढी में आने वाले किसी भी प्रकार के अवरोध को हटाये जाने के आदेश करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रजिस्टर में पंजीबद्ध किया गया एवं अप्राथी को जर्ये नोटिस तामिल करवाई गई। अप्रार्थी की ओर से बाद तामील कोई न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर अप्रार्थी के जबाव का अवसर बन्द कर दिया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, ग्राम बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 240, 241, 242 प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इससे किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा सं. 240 रकबा 0.10 हैक्टे., 241 रकबा 0.03 हैक्टे., 242 रकबा 0.04 हैक्टे., कुल किता 3, कुल रकबा 0.17 हैक्टे. वाकै ग्राम बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा, राजस्थान के लिये सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरों की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू.अ. निरीक्षक बैजूपाडा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक बैजूपाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)